–: राजस्थान सरकार :–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–58/2024

उनवान –सरकार बनाम राजेश सिकरवार पुत्र श्री महावीर सिकरवार जाति ठाकुर उम्र 45 विकेता मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी–50–57 एण्ड 58–65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर, धौलपुर, निवासी बीना गोयल अस्पताल के पास, पटपरा धौलपुर 2. प्रहलाद सिंह (नोमिनी) भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी–50–57 एण्ड 58–65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर, धौलपुर 3. भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी–50–57 एण्ड 58–65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

निर्णय दिनांक –29.11.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त **श्री राजेश सिकरवार पुत्र श्री महावीर सिकरवार जाति ठाकुर उम्र 45 विकेता मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी–50–57 एण्ड 58–65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर, धौलपुर, निवासी बीना गोयल अस्पताल के पास, पटपरा धौलपुर 2. प्रहलाद सिंह (नोमिनी) भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी–50–57 एण्ड 58–65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर, धौलपुर 3. भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी–50–57 एण्ड 58–65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर, धौलपुर** के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.10.2020 को समय सुबह 2.00 बजे पर **मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी–50–57 एण्ड 58–65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर, धौलपुर** निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त/अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण ईकाई (गोदाम) में रखे *लगभग 400 कार्टून रखे थे प्रत्येक कार्टून में 500 ग्राम के 20 पैकेट Low Fat Dairy Whitne (Dholpur Fresh) आम जनता के विक्रय करने हेतु* रखा था। उक्त Low Fat Dairy Whitne (Dholpur Fresh) में मिलावट का शक होने पर उक्त 500 ग्राम के 4 पैकेट (2 किलो) Low Fat Dairy Whitne (Dholpur Fresh) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त घी नमूना डी–2986 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की रिपोर्ट एलएस/1294/एक्ट/2023/1339 दिनांक 20.10.2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया Low Fat Dairy Whitne (Dholpur Fresh) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप पढकर सुनाया गया । अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश आरोप अस्वीकार किया तथा जबाब में कथन किया कि दिनांक 07.10.2023 को प्रार्थीगण से नमूना संख्या डी–2986 लो डेरी व्हाइटनर (धौलपुर फ्रेश) का संकलित किया गया था जो कि रासायनिक विश्लेषण के उपरांत प्रदत्त रिपोर्ट गलत मानको पर आधारित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है । खाद्य सुरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मान और खाद्य सहयोज्य) विनिमय 2011 की नियम 2.1.10 दूध पाउडर एवं क्रीम पाउडर से

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 58/2024सरकार बनाम राजेश सिकरवार बगैरा

सम्बन्धित मानक प्रदान किये गये है । जिसमें Titratable Acidity का पैरामीटर दूध पाउडर से सम्बन्धित निर्धारित किया गया है । खाद्य सुरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मान और खाद्य सहयोज्य) विनिमय 2011 की नियम 2.1.10 खाद्य सहयोज्य) विनिमय 2011 की नियम 2.1.11 लो फेट डेरी व्हाइटनर से सम्बन्धित 09 मानक प्रदान किये गये है । जिसमें Titratable Acidity का कोई पैरामीटर लो फेट डेरी व्हाइटनर हेतु निर्धारित नहीं किया गया है । पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज भरतपुर राजस्थान द्वारा गलत पद्धति प्रार्थी के उत्पाद हेतु अपनायी गई है । जिसकी वजह से उक्त त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट संख्या Ls/1294/Act/2023/1339 जो पोषणीय नहीं है । अतः प्रार्थी व उसकी कम्पनी को दोष मुक्त करने की प्रार्थना की गई है ।

प्रस्तुत प्रकरण में पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार ने बताया कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की रिपोर्ट एलएस/1294/एक्ट/2023/1339 दिनांक 20.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया Low Fat Dairy Whitne (Dholpur Fresh) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। इससे प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त Low Fat Dairy Whitne (Dholpur Fresh) सबस्टेण्डर्ड (Substandard)का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः **श्री राजेश सिकरवार पुत्र श्री महावीर सिकरवार जाति ठाकुर उम्र 45 विक्रेता मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी—50—57 एण्ड 58—65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर , धौलपुर , निवासी बीना गोयल अस्पताल के पास , पटपरा धौलपुर 2. प्रहलाद सिंह (नोमिनी) भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी—50—57 एण्ड 58—65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर , धौलपुर 3. भोले बाबा मिल्क फूड इण्ड, धौलपुर प्रा0लि0जी—50—57 एण्ड 58—65 रीको इण्ड. एरिया ग्रोंथ सेंटर , धौलपुर** पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51के तहत राशि 11,000/—रुपये (ग्यारह हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(धीरेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner